

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 1362 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 27 /2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पडेरगांव से पेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.710 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण का पत्रांक 3920/FU/UK/ROAD/12704/2017 दिनांक 27.06.2017

महोदय,

आपके उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कतिपय कमियां पायी गई, के क्रम में अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग के पत्रांक 543/19सी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2016-17 दिनांक 05.09.2017 से प्राप्त ऑनलाईन कमियों क्र०सं० 01 से 04 व ऑफलाईन कमियों क्र०सं० 5 से 19 तक का निराकरण निम्नानुसार किया गया है:-

क्र.सं	ऑनलाईन ई०डी०एस० आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1.	The reply of point No. 1 & 2 of EDS regarding C/B analysis is not satisfactory. The monetary figures given in the Cost Benefit Ratio Calculation Sheet (Formate-29) have not been shown in the Annexure-VI(b) Parameters for evaluation of loss of forests and Annexure-VI(c): Parameters in Annexure-VI(b) & Annexure-VI (C) are quantified and expressed in monetary terms.	(Answer point no-1 & 2 of eds) उक्त आपत्ति का निराकरण कर पार्ट 1 G (i) (a) में अपलोड कर दिया गया है। याचक विभाग की पत्र सं० 543/19 सी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2016-17 दिनांक 05.09.2017 से प्रस्ताव में पेज नं० 45, 46 व 47 में संलग्न किया गया है।
2.	State govt. was requested to submit hard copy of the proposal in point no-3 of EDS, but the hard copy of the proposal has not been submitted to this office so far. The letter of the user Agency referred to in the reply is addressed to the Nodal officer and not to this office.	(Answer point no-2 of eds) ई०डी०एस० बिन्दु 3 के क्रम में प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
3.	In reply to point No-8 of EDS, it is mentioned that the revised geo-referenced digital map for the forest land proposed for diversion has been uploaded in para-C(iv) of online Part-I. But, the geo-coordinates for 5 points only are given in the map that too hand written. State Govt. may submit the geo-referenced digital map for the forest land proposed for diversion showing geo-coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment of the proposed road including all turning point (Curves) both in hard and soft copy (.shp file.)	(Answer point no-3 of eds) ई०डी०एस० बिन्दु सं० 4 के क्रम में जी०ओ० डिजिटल मैप व .Shp file सी०डी० साफ्ट कापी में नोडल अधिकारी कार्यालय में याचक विभाग के पत्रांक 223/19 सी० दिनांक 16.06.2017 से पत्र वाहक के माध्यम से जमा कर दी गई है।
4.	The text and the data given at sr. no-16 at para-4 of online Part-II is creating confusion in the number of trees which may be reviewed.	(Answer point no-4 of eds) पार्ट 11 के पैरा नं० 4(ii) में वृक्षों की सूची सही अंकित कर दी गई है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न बिना भरे प्रपत्रों को भरकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न बिना भरे प्रपत्रों को भरकर प्रस्ताव में पेज नम्बर 4, 7, 8 पर संलग्न किया गया।
6.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण-पत्र तथा लैण्ड शेड्यूल के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण-पत्र तथा लैण्ड शेड्यूल के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के पेज नम्बर 23, 24, 25 पर संलग्न किया गया है।
7.	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के फलस्वरूप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के फलस्वरूप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या व Recommendation प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
8.	प्रस्ताव में मानचित्रों को चस्पा किये जाने के स्थान पर खुले रूप में रखा गया है। अतः मानचित्रों को सही स्थान पर चस्पा किया जाय।	प्रस्ताव में मानचित्रों को पेज नं० 20, 21, 75, 76 पर चस्पा कर संलग्न कर दिया गया है।

9.	प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक का उल्लेख है। अतः परियोजना के अनुसार नाम अंकित किया जाय।	प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक का उल्लेख है। जिसे सही कर पडेरगांव पैरी कर दिया गया है।
10.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार बनाकर प्रस्ताव में पेज नं० 77 पर संलग्न कर दिया गया है।
11.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावित स्थलों का क्षेत्रफल सहित नाम अंकित किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावित स्थलों का क्षेत्रफल सहित नाम अंकित कर प्रस्ताव में पेज नं० 78 पर संलग्न कर दिया गया है।
12.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों का ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों का ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पेज नं० 76 पर संलग्न कर दिया गया है।
13.	एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी का उल्लेख करते हुए एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।	एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी का उल्लेख करते हुए एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पेज नं० 110 व 111 पर संलग्न कर दिया गया है।
14.	मक डिस्पोजल हेतु पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न करें।	मक डिस्पोजल हेतु पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज प्रस्ताव में पेज नं० 80 से 102 तक संलग्न कर दिया गया है।
15.	एफ०आर०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न करें।	एफ०आर०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में पेज नं० 36 पर संलग्न कर दिया गया है।
16.	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में भरकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में भरकर प्रस्ताव में पेज नं० 45, 46 व 47 पर संलग्न कर दिया गया है।
17.	बार-चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें।	बार-चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में पेज नं० 2 से 9 तक एवं पेज नं० 27 पर संलग्न कर दिया गया है।
18.	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न कर दिये गये हैं। प्रपत्रों को क्रमवार सूची से पेज संख्या सही तरह से अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।
19.	मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को प्रमाणित कर दिया गया है।	मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को प्रमाणित कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्ताव की तीन प्रतियां।

भवदीय,

(एन०एन० पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वी० कर्णप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियां में बांज वृक्ष प्रपत्र में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के हस्ताक्षर करवाकर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें

(एन०एन० पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।